

न्यायालय जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : शिवांगी स्वर्णकार, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2013 (रेफरेंस)
पंजीयन दिनांक 17.01.2013

सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

-प्रार्थी

बनाम

आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़

-विपक्षी

कार्यवाही: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 आर. टी. ए. 1955


उपस्थिति:- 1- श्री मनोहर लाल दक, राजकीय अभिभाषक
2- श्री रमेश चन्द्र गर्ग, अधिवक्ता विपक्षी



निर्णय

दिनांक 09.07.2019

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भूमिधारी (तहसीलदार) चित्तौड़गढ़ ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ की साबिक आराजी नम्बर 1099 रकबा 5 बिस्वा किस्म आ. चा. एवं आराजी नम्बर 1098 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा किस्म नाडी होकर बिलानाम मेवाड़ बन्दोबस्त में दर्ज थी। उक्त भूमि की किस्म आ. चा. एवं नाडी होने से इसे किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता था। इस भूमि के नवीन आराजी नम्बर 3234 रकबा 0.13 है., आ. नं. 3235 रकबा 0.40 है. एवं आ. नं. 3236 रकबा 0.03 है. बने हैं जो विपक्षी के नाम जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 में नगर


जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

पालिका, चित्तौड़गढ़ नाम से राजस्व रेकार्ड में अंकित है जो कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के डी. बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 श्री अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 के निर्देशानुसार 15 अगस्त 1947 के समय के मौका एवं रेकार्ड की स्थिति को यथावत रखने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः ग्राम चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 3234 रकबा 0.13 है., आ. नं. 3235 रकबा 0.40 है. एवं आ. नं. 3236 रकबा 0.03 है. को पुनः पूर्व अंकन अनुसार रेकार्ड में बिलानाम आ. चा. एवं नाडी दर्ज की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र गर्ग, ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1099 रकबा 5 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1098 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि किस्म क्रमशः आ. चा. एवं नाडी बिलानाम दर्ज थी। उक्त भूमि की किस्म आ. चा. एवं नाडी होने से इसे किसी भी व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं की जा सकती थी। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, एवं जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1099 किस्म आ. चा. एवं आराजी नम्बर 1098 किस्म नाडी दर्ज थी। उक्त किस्म की भूमि को



जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़



किसी भी व्यक्ति को कृषि अथवा अन्य प्रयोजनार्थ आवंटन नहीं किया जा सकता था। गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1099 एवं 1098 के नवीन बन्दोबस्त की आराजी संख्या 3234 रकबा 0.13 है., आ. नं. 3235 रकबा 0.40 है. एवं आ. नं. 3236 रकबा 0.03 हैक्टेयर राजस्व रेकार्ड में विपक्षी के नाम दर्ज है जो विधि-विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः आवेदन स्वीकार फरमाकर उक्त आराजी को पूर्व किस्म अनुसार अंकन का आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता विपक्षी ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि यह आराजी पालिका के नाम आबादी में दर्ज हो चुकी है और आबादी भूमि होने से रेफरेन्स लागू नहीं होता है। उच्च न्यायालय का न्यायिक विनिश्चय अब्दुल रहमान बनाम सरकार इस प्रकरण की परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से लागू नहीं होता है। धारा 16 टिनेन्सी एक्ट की परिधि में भी यह प्रकरण नहीं आता है तथा प्रार्थी को रेफरेन्स नहीं करके टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार घोषणा का दावा करना चाहिए था। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त योग्य है अतः तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख अनुसार ग्राम चित्तौड़गढ़ की गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1099 रकबा 5 बिस्वा किस्म आ. चा. एवं आराजी नम्बर 1098 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा किस्म नाडी होने से इसे किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता था। इस भूमि के नवीन आराजी नम्बर 3234 रकबा 0.13 है., आ. नं. 3235 रकबा 0.40 है. एवं आ. नं. 3236 रकबा 0.03 हैक्टेयर बने हैं जो विपक्षी के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।



2
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़



राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार ऐसी भूमियां आवंटन योग्य नहीं हैं और इनमें खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। अतः ग्राम चित्तौड़गढ़ की गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1099 रकबा 5 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1098 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा किस्म क्रमशः आ. चा. एवं नाडी जो बन्दोबस्त होने से हाल आराजी नम्बर 3234 रकबा 0.13 है., आ. नं. 3235 रकबा 0.40 है. एवं आ. नं. 3236 रकबा 0.03 हैक्टेयर नगर पालिका चित्तौड़गढ़ के नाम दर्ज होने से इसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी. बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश 02.08.2004 के निर्देशानुसार दिनांक 15 अगस्त 1947 के समय के मौका एवं रेकार्ड की स्थिति को यथावत रखने हेतु पुनः बिलानाम किस्म आ. चा. एवं नाडी दर्ज कराने हेतु माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पालना से अवगत करावें।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’


(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

